International Journal of Sociology and Political Science
www.sociologyjournal.in
Online ISSN: 2664-7745, Print ISSN: 2664-7737
Received: 17-11-2024, Accepted: 18-12-2024, Published: 02-01-2025
Volume 7, Issue 1, 2025, Page No. 1-4

नगरीय स्थानीय संस्थाओं की स्वायत्तताः वर्तमान परिदृश्य

डॉ0 सपना
राजनीति विज्ञान विभाग, मेरठ कॉलेज, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश
हमारा स्वभाव कुछ ऐसा पड़ गया है कि शासन के विशय में हम सर्वथा उच्च स्तर पर ही लोकतन्त्र की बात सोचते हैं स्थानीय स्तर पर नहीं। यदि लोकतन्त्र के नींव का निर्माण नीचे से न किया गया तो सम्भव है कि लोकतन्त्र पूर्णतः सफल न हो सके। 'स्थानीय स्वशासन', लोकतन्त्र के हर स्वरूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और होना भी चाहिए। भारतीय राजनीतिक इतिहास में स्थानीय स्वशासन से नगरीय स्थानीय संस्थाओं व पंचायती राज संस्थान तक का सफर वैदिक–उत्तर वैदिक युग, मौर्य काल, मुगल एवं ब्रिटिश काल से स्वतन्त्र भारत में संवैधानिक मान्यता प्राप्त होने तक सुनहरे दौर से गुजरते हुये इन्हीं भावनाओं से ओत–प्रोत रहा। नगरीय स्थानीय संस्थाओं व पंचायती राज संस्थाओं की अतीत से वर्तमान तक की विकास यात्रा यह स्पष्ट करती है कि मुनष्य की मनोवैज्ञानिक एवं व्यावहारिक अनिवार्यताओं हेतु स्थानीय स्वशासन अपरिहार्य रहीं हैं।

मूल शब्दः नगर निकाय, पंचायती राज व्यवस्था, संविधान, संविधान संशोधन, वित्त, आय, सहभागी, स्वायत्तता, स्वशासन, लोकतंत्र, भक्ति व अधिकार आदि

शोध प्रविधिः यह शोध पत्र द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। इसके अन्तर्गत प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

स्थानीय स्वशासन का विकास

स्थानीय स्वशासन के विकास की दृष्टि से प्राचीन भारतीय राजनीतिक इतिहास में सर्वाधिक महत्व चोल राजवंश (850 ई0 से 1279 ई0) का है। शक्तिशाली एवं स्वायत्तशासी स्थानीय संस्थाओं का अस्तित्व चोल राजवंश की प्रमुख विशेषता रही है, जिसमें प्रशासन की सबसे छोटी इकाई 'ग्राम–सभा' थी। नीलकण्ठ शास्त्री ने अपनी पुस्तक ''स्टडीज इन चोल हिस्ट्री एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन'' के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर दो प्रकार की संस्थाओं–'उर' एवं 'सभा' या 'महासभा' का उल्लेख किया है। शास्त्री के अनुसार 'उर' शब्द ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों हेतु प्रयुक्त होता था, जिसका शब्दिक अर्थ 'पुर' से लिया जाता है जो कि आम जनता की एक सभा थी, जिसमें सभी ग्रामीण जन भाग लेते थे।

ब्रिटिश काल में स्थानीय स्वशासन का शुभारम्भ तब हुआ जब सन् 1687 में 'बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स' से अनुमति प्राप्त कर 'मद्रास नगर निगम' की स्थापना की गयी। स्थानीय स्वशासन के विकास की दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हुए सन् 1726 में कलकत्ता एवं बम्बई में नगर निगम की स्थापना के साथ–साथ महापौर के न्यायालय की स्थापना की गयी। जिसके उपरान्त सन् 1757 ई0 में प्लासी के युद्ध एवं सन् 1764 ई0 में बक्सर के युद्ध में विजय के परिणामस्वरूप अंग्रेजों को बंगाल में दीवानी के अधिकार प्राप्त हो गये। इसके उपरान्त सन् 1793 में पारित चार्टर अधिनियम (अधिकार पत्र अधिनियम) के माध्यम से मद्रास, बम्बई एवं कलकत्ता नगर निगमों की स्थिति को वैधानिकता प्रदान की गयी। इस समय इन संस्थाओं द्वारा कर–संग्रह एवं शांति–व्यवस्था बनाये रखने जैसे कार्य किये जाते थे।

1840 के दशक के प्रारम्भ में ही प्रेसीडेन्सी नगरों के बाहर स्थानीय स्वशासन के विकास हेतु सन् 1842 में 'बंगाल अधिनियम' लाया गया, जिसका प्रभाव क्षेत्र बंगाल तक सीमित था। इस अधिनियम के अनुसार बंगाल में प्रेसीडेन्सी के बाहर दो–तिहाई नागरिकों की माँग पर ही नगर निगमों की स्थापना की जाएगी। इसके साथ–साथ अधिनियम के माध्यम से नगर निगमों को कर लगाने के अधिकार भी दिये गये किन्तु इस अधिनियम को भयंकर विरोध का भी सामना करना पड़ा। बंगाल प्रेसीडेन्सी के बाहर नगर निगमों की स्थापना के उद्देश्य से सन् 1850 में एक अन्य अधिनियम बनाया गया, जिसका प्रभाव सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत में विस्तृत था।

यद्यपि कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ0 भीमराव अम्बेडकर स्थानीय स्वशासन के खिलाफ थे। अन्ततः संविधान सभा में विभिन्न सदस्यों के दबाव के कारण डॉ0 अम्बेडकर ने स्थानीय स्वशासन के प्रावधान को संविधान में सम्मिलित करना स्वीकार कर लिया। इसी कड़ी में 22 नवम्बर सन् 1948 को संविधान सभा के सदस्य के0 संथानम् द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें उल्लिखित था–''प्रत्येक राज्य पंचायतों को संगठित करने के लिए प्रयास करेगा और उन्हें ऐसी पर्याप्त शक्तियाँ एवं अधिकार देगा कि वे स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य कर सकें।'' के0 संथानम् के इस प्रस्ताव को इन्हीं शब्दों में संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर भारतीय संविधान के भाग–IV के अन्तर्गत अनुच्छेद–40 में राज्यों के नीति निदेशक तत्वों के रूप में सम्मिलित कर लिया गया। इसके साथ–साथ संविधान के अनुच्छेद–246 में उल्लिखित राज्य सूची के अन्तर्गत पाँचवीं प्रविष्टि के रूप में स्थानीय स्वशासन को स्थान दिया गया।

भारतीय संविधान के माध्यम से भारत में एक बहुस्तरीय संघीय ढांचे की स्थापना की गयी है, जिसके अन्तर्गत संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से स्वायत्त सरकार के रूप में 'पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना तथा 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से स्वायत्त सरकार के रूप में नगर निकायों की स्थापना की बात की गयी है। मगर पंचायतों एवं नगर निकायों की भूमिका को देखते हुये यह प्रश्न उठता है कि क्या पंचायतें एवं नगर निकाय इतने स्वायत्त है, जितने स्वायत्तता की परिकल्पना संविधान के भाग–4 अर्थात् नीति निदेशक तत्वों के अन्तर्गत अनुच्छेद–40 के साथ साथ 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से की गयी थी। क्या उन्हें पर्याप्त वित्तीय संसाधन, पर्याप्त मानव संसाधन एवं निर्णय निर्माण की शक्ति प्रदान की गयी है, जो उन्हें स्वायत्त सरकार के रूप में स्थापित कर सके?

नगर निकायों को संवैधानिक मान्यता

भारत सरकार द्वारा स्थानीय स्वशासन की स्थापना के उद्देश्य से समय समय पर अनेक समितियों का गठन किया गया, जिसमें से लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दिये जाने की अनुशंसा की गयी तथा इससे सन्दर्भित एक आधारभूत पत्र भी प्रस्तुत किया गया। अतः पंचायती राज संस्थाओं व नगर निकायों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से सन् 1992 में संविधान में 73वां एवं 74 वां संविधान संशोधन किया गया तथा इसके माध्यम से क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं व नगर निकायों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गयी। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में भाग–9क एवं एक नई अनुसूची–12 जोडी गयी तथा संविधान के अनुच्छेद 243 को 243P से 243ZG तक विस्तृत कर के नगर निकायों सम्बन्धी विविध प्रावधानों को जोड़ा गया। संविधान के अनुच्छेद 243Q में यह उल्लेख किया गया कि 'इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुये राज्य विधान मण्डल विधि द्वारा नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियाँ एवं प्राधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो और ऐसी विधि में, निम्नलिखित के सम्बन्ध में शक्तियाँ और उत्तरदायित्व न्यागत करने के लिए उपवन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात्

- आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना।
- ऐसे कृत्यों का पालन करना और ऐसी योजनाओं की, जो उन्हें सौंपी जाएं, जिनके अन्तर्गत वे योजनाएँ भी है, जो बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के सम्बन्ध में हैं, कार्यान्वित करना।"

विदित है कि संविधान के अनुच्छेद 243X में नगरपालिकाओं हेतु वित्तीय संसाधनो का प्रावधान किया गया है तथा उसमें यह उल्लेख किया गया है कि 'राज्य विद्याननण्डल विधि द्वारा ऐसे कर, शुल्क और कर और फीस उद्गृहीत, संगृहीत और विनियोजित करने के लिए किसी नगरपालिका की ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे निर्वधनों के अधीन रहते हुये प्राधिकृत कर सकेगा। इसके साथ साथ संदर्भित अनुच्छेद के माध्यम से राज्य विधानमंडलो को विधि के माध्यम से राज्य की संचित निधि से नगर निकायों को सहायता देने हेतु अधिकृत किया गया है। इतना ही नहीं संविधान के 73वें व 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है- जिसका मुख्य कार्य नगरपालिका के वित्त में सुधार, आवश्यक वित्तीय संसाधन आदि के सन्दर्भ में अनुशंसायें करना है।

74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में किये गये उक्त प्रावधानों के बाद भी यह प्रश्न बार बार उठता है कि क्या नगर निकाय से सम्बंधित संस्थायें स्वायत है क्योंकि संविधान में इनकी परिकल्पना एक स्वायत सरकार के रूप में की गयी है। 'क्या नगर निकाय स्वायत्त हैं?' पर विचार करने से पहले यह जान लेना आवशक है कि स्वायत्तता क्या है?

स्वायत्तता

स्वायत्तता शब्द को परिभाषित करते हुये ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्सनरी (शब्दकोष) में लिखा गया है कि 'किसी एक देश, किसी क्षेत्र विशेष अथवा किसी संस्था द्वारा आत्मनिर्भर रूप से प्रशासित होने की स्वतन्त्रता ही स्वायत्तता है। विदित है कि किसी भी संस्था की स्वायत्तता के लिए निम्नलिखित शक्ति व अधिकार महत्वपूर्ण हैः–

- सम्बद्ध क्षेत्र में योजना, नीति व निर्णय–निर्माण किसके द्वारा किया जाता है?
- उक्त नीतियों व योजनाओं के सन्दर्भ में कानून–नियम आदि बनाने व उन्हें कार्यान्वित करने का अधिकार किसे प्राप्त है?
- क्या उक्त सन्दर्भ में संस्था के पास आय के पर्याप्त स्रोत व संसाधन उपलब्ध हैं?
- सम्बद्ध क्षेत्र अथवा संस्था विशेष के स्तर पर कार्यरत सरकारी कर्मचारी किसके प्रति जवाबदेह हैं?

नगर निकायों की स्वायत्तता

विदित है कि भारतीय संविधान के माध्यम से पंचायतों व नगरीय निकायों को एक स्वायत्त सरकार के रूप में स्थापित किया क्या है। उनके लिए कार्यात्मक विषयों हेतु अलग–अलग कार्यत्मक सूचियों की व्यवस्था की गयी है, जिसे कार्यान्वित करते का दायित्व इन संस्थाओं को प्रदान किया गया है तथा इस हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता हेतु आवश्यकत संवैधानिक प्रावधान भी किये गये हैं मगर ऐसा क्या कारण है कि इन संस्थाओं की स्वायत्तता का प्रश्न बार–बार उभर कर सामने आता है। सामान्यतः नगरीय निकायों द्वारा स्वायत्तता के सन्दर्भ मैं' निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा हैः–

- यद्यपि भारतीय संविधान की बारहवीं अनुसूची के माध्यम से नगर निकायों हेतु 18 कार्यात्मक विषयों का निर्धारण किया गया है तथा उनके क्रियान्वयन का दायित्व भी नगर निकायों का है। मगर समस्या यह है कि नगर निकायों द्वारा जिन नीतियों व कार्यक्रमों का निर्धारण किया जाता है। उनको एक लम्बी स्वीकृति की प्रक्रिया से गुजरता पड़ता है, जिससे 'नगर निकायों के स्वयं निर्णय लेने तथा स्वयं के लिये गये निर्णयों को कार्यर्यान्वित करने की शक्ति प्रभावित होती है।
- पंचायती राज संस्थान एवं नगरीय निकाय दोनों ही राज्य सरकार के योजनाओं व कार्यक्रमों की सम्पादित करने वाली एजेंसी या अधिकरण बन कर रह गयी है। इन संस्थाओं द्वारा जिन कार्यों एवं योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है उनकी रूपरेखा ऊपर से बनती है अर्थात् में योजनाए अपनी प्रकृति में मांग आधारित न होकर पूर्ति आधारित है। इस कारण भी नगर निकायों की स्वायत्तता प्रभावित होती है।
- स्वायत्तता का प्रश्न महिला प्रतिनिधियों के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण है क्योंकि स्थानीय संस्थाओं में जो महिलायें चुन कर आती है, उनमें से अधिकांश महिला प्रतिनिधियों द्वारा लिया गया निर्णय सामान्यतः उनके पुरुष सम्बन्धियों द्वारा लिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप महिला प्रतिनिधियों की निर्णयन क्षमता प्रभावित होती है और वे स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पाती हैं।
- स्वायत्तता की एक अन्य समस्या राज्य वित्त आयोग द्वारा दिय गये अनुदान के सन्दर्भ में है। राज्य वित्त आयोग द्वारा जो भी अनुदान दिया जाता है, उनमें से 50 प्रतिशत अनुदान बद्ध होता है तथा 50 प्रतिशत अनुदान अबद्ध होता है। अबद्ध अनुदान को खर्च करने के लिए ये संस्थाएं स्वतन्त्र रूप से निर्णय ले सकती है किन्तु बद्ध अनुदान को उन्हीं मदों में खर्च करना होता है, जिनके लिए उनका निर्धारण किया गया है। समस्या तब उत्पन्न हो जाती है जब किसी नगरीय क्षेत्र में बद्ध अनुदान से सम्बंधित कार्यों की आवश्यकता समाप्त हो गयी हो अथवा अब उस क्षेत्र में संदर्भित कार्य की आवश्यकता ही न हो तो नगरीय निकायों को यह अधिकार नहीं है कि वे अपनी आवश्यकता अनुसार उस बद्ध अनुदानों को किसी और मद में खर्च कर सकें।
- वित्तीय संसाधनों का अभाव स्वायत्तता के सम्बन्ध में एक अन्य समस्या रही हैं, नगरीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाये दोनो द्वारा इस समस्या का सामना किया जाता रहा है। यद्यपि भारतीय संविधान के माध्यम से पंचायतों एवं नगर

निकायों को कर, शुल्क, फीस आदि वसूलने का अधिकार प्रदान किया गया है मगर इस सन्दर्भ में दोनों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में इन दोनों संस्थाओं की राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के अनुदान पर निर्भर रहना पड़ता है और यह एक सर्वमान्य सत्य है कि वित्तीय निर्भरता, स्वायत्तता को छीन लेती है। विदित है कि नगर निकायों को विभिन्न स्रोतों से वित्त प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में नगर निकायों को निम्नलिखित स्रोतों से वित्त प्राप्त प्रोता है–

1. स्वयं के संसाधन (कर एवं गैर कर आय): गृह कर, आय कर, विज्ञापन कर,..... प्रभागृह कर, पशुओं पर कर, वाहनों पर कर आदि सम्मिलित है।
2. राज्य वित्त आयोग द्वारा
3. केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा
4. योजनागत वित्त पोषण अमृत, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन आदि।
5. नया सवेरा एवं आदर्श नगर योजना
6. रिवाल्विंग फण्ड

- स्वायत्तता के सन्दर्भ में एक अन्य समस्या नगर निकायों में कर्मचारियों एवं अधिकारियों की पोस्टिंग एवं स्थानान्तरण के सम्बन्ध में रही है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा किया जाता है तथा उनका स्थानान्तरण भी राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, ऐसी स्थिति में नगर निकायों पर में पोस्टेड अधिकारी और कर्मचारी स्वयं को राज्य सरकार के अधिक निकट मानते हैं तथा स्वयं को राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी समझते हैं, जिसके परिणामस्वरूप नगर निकायों को अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता है और इसका परिणाम नगर निकायों की कार्य क्षमता में कमी के रूप में उभर कर सामने आता है और अन्ततः इससे नगर निकायों की स्वायत्तता भी प्रभावित होती है।

समाधान

उक्त स्थिति को देखते हुये यह कहा जाना समीचीन होगा कि नगर निकायों की स्वायत्तता की स्थापना के लिए व्यापक संरचनात्मक एवं नीतिगत परिवर्तन की आवश्यक्ता है। नगर निकायों की स्वायत्तता की स्थापना के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा सकते हैं:–

1. बद्ध एवं अबद्ध अनुदान (Tied and Untied Grant) में सुधार कर अबद्ध अनुदान को बढ़ाया जाए, जिससे प्राप्त अनुदान का उपयोग नगर निकायों सम्बन्धी संस्थायें स्वतन्त्र होकर कर सकेंगी। केन्द्रीय बजट से समाप्त किये गये 'योजनागत व्यय व गैर–योजनागत व्यय विभाजन' के तर्ज़ पर स्थानीय स्तर पर 'बद्ध एवं अबद्ध अनुदान रूपी विभाजन' को समाप्त कर केवल 'अबद्ध अनुदान' का विकल्प अपनाया जा सकता है।
2. नगर निकायों सम्बन्धी संस्थाओं को करारोपण एवं कर संग्रह हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि आज भी उत्तर प्रदेश में नगर निकायों की कर आधारित आय बहुत कम है। इसके लिए आय संग्रह के अनुपात में अतिरिक्त अबद्ध अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए।
3. कार्य योजनाएं 'पूर्ति के बजाए माँग' के आधार पर निर्मित की जानी चाहिए। अन्य शब्दों में कहें तो कार्य योजनाओं का निर्माण स्थानीय आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप हो क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कई नगर निकाय सम्बन्धी संस्थाओं में ऐसे कार्य के लिए फण्ड दिये गये हैं, जिस कार्य की वहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं है।
4. नगर निकायों हेतु 12वीं अनुसूची में निर्धारित 18 कार्यों में व्याप्त अस्पष्टता को समाप्त कर नगर निकायों के प्रत्येक स्तर के लिए कार्यों का स्पष्ट वर्गीकरण किया जाए। इसके साथ–साथ 12वीं अनुसूची तथा 7वीं अनुसूची की 'राज्य सूची' के विषयों के मध्य अनावश्यक दोहराव को समाप्त करते हुये 7वीं अनुसूची में एक नयी सूची 'नगर निकाय' का समावेश किया जाए। 12वीं अनुसूची के सभी विषय हस्तान्तरित कर दिये जाएं तथा ऐसे विषयों को, जो पहले से हस्तान्तरित कर दिये गये हैं, उनमें स्पष्टता लाई जाए।
5. राज्य सरकार की भूमिका कार्य योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने तक सीमित हो। ग्राउण्ड लेवल (जमीनी स्तर) पर योजनाओं को किस प्रकार लागू किया जाना है इसका निर्णय नगर निकायों पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

सारभूत रूप में यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों के रूप में स्वायत्त स्थानीय सरकार की स्थापना की गयी है। संविधान की 12वीं अनुसूची के माध्यम से उन्हें पर्याप्त कार्यात्मक शाक्तियाँ भी प्रदान की गयी हैं मगर ऐसे विभिन्न कारण भी उभर कर सामने आये हैं, जिससे ये स्थानीय नगरीय संस्थायें एक सरकार के रूप में कार्य करने के बजाए राज्य सरकार के अभिकरण के रूप में कार्य करने लगी हैं। इन समस्याओं एवं चुनौतियों मे सम्मिलित है, कर्मचारियों एवं अधिकारियों की पोस्टिंग एवं स्थानान्तरण, वित्तीय संसाधनों का अभाव, अबद्ध अनुदान व बद्ध अनुदान, महिला प्रतिनिधियों की निर्णयन क्षमता आदि सम्मिलित है।

विदित है कि इन समस्याओं में संरचनात्मक समस्या के साथ–साथ इच्छाशक्ति की कमी भी झलकती है। ऐसी स्थिति में नगर निकायों के प्रतिनिधि एवं राज्य सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण विधिक एवं संरचनात्मक सुधार के बाद पंचायतों और नगर निकायों के स्वायत्तता के स्तर की प्राप्त किया जा सकता है।

सन्दर्भ सूची

1. बसु, डॉ0 दुर्गा दासः भारत का संविधानः एक परिचय, संस्करण–11, लेक्सिस–नेक्सिस प्रकाशन, गुरूग्राम, 2015.
2. मैथ्यू, जॉर्ज– पंचायती राजः उपलब्धियां और चुनौतियां, कुरूक्षेत्र, जुलाई–2018, अंक–09
3. वीरेन्द्र कुमार पैन्यूलीः विवशताओं के बीच ग्राम पंचायतें, जनसत्ता, 26 जून, 2020.
4. चांदगुडे, विनायकः पंचायत राज व नगरीय स्वराज संस्था, सकल प्रकाशन, पुणे, जनवरी, 2017.
5. बीजू, एम0आर0: पंचायती राज सिस्टमः टुवर्डस् सस्टनेबल रूरल लिवलीहुड एण्ड डेवलेपमेण्ट, कनिश्का पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीव्यूटर्स, नयी दिल्ली, जनवरी, 2008.
6. श्री वेंकैया नायडू, उप–राष्ट्रपति, भारतः और अच्छी पंचायतों का इन्तजार, यथावत, yathavat.com, Date 11 August, 2020, 11:22 pm.
7. उत्तर प्रदेशः सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. कुमार सौरभः भारत में समावेशी लोकतन्त्र : विसंगतियाँ एवं सुधार, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research, Vol. 4, No. 6, December, 2017
9. कुमार सौरभः पंचायतों की स्वायत्तताः वर्तमान परिदृश्य, International Journal of Advanced Educational Research, Volume 3; Issue 2; March 2018; Page No. 185-187
10. भारत का राजपत्र, गृह मंत्रालय, अधिसूचना, नई दिल्ली, 30. 09.2005

11. Commission on Centre-State Relation Relations Report, Volume-IV, March 2010
12. Roadmap for the Panchayati Raj (2011-16): An All India Perspective, Ministry of Panchayati Raj, Feb. 2011
13. Fayyaz Baqir; Nipa Banerjee; Sanni Yaya: Book on Improving Sustainable Development Goals Spending, Taylor & Francis, 31 December 2019.
14. Devolution Report 2015-16: Where Local Democracy and Devolution in India is heading towards? Ministry of Panchayati Raj, Government of India.